

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5291 /

जबलपुर, दिनांक 5 / 09 / 2018
16

श्री अनिल कुमार कोष्टा, सहायक ग्रेड-तीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "नीलकण्ठ विधि महाविद्यालय, जबलपुर से एल.एल.बी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर) की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।



(अरविन्द कुमार शुक्ला)

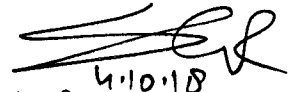
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/5292 /

जबलपुर, दिनांक 05 / 09 / 2018
16

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री अनिल कुमार कोष्टा, सहायक ग्रेड-तीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

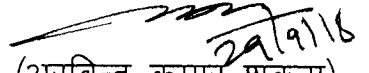
// आदेश //

क्रमांक B/5293 /

जबलपुर, दिनांक ०९/०९/२०१८

श्री कपिल साधवानी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण (CPCT) की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

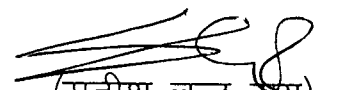

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/5294 /

जबलपुर, दिनांक ०९/०९/२०१८

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री कपिल साधवानी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र सख)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

7

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5295 /

जबलपुर, दिनांक 05 / 09 / 2018
10

1. श्रीमती रिचा मिश्रा, सहायक ग्रेड-तीन,
2. श्री मुकेश उइके, सहायक ग्रेड-तीन,

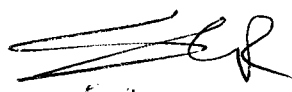
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रिसीप्ट अनुभाग में कार्यरत रहते हुये पोस्टल आई.डी. नंबर-133189576 आई.एन. जो कि श्री ए.के. महोबिया, ओ.एस.डी. (लेखा) को संबोधित थी, आपके आधिपत्य से गुम पाये जाने के फलस्वरूप चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में कर्तव्य के प्रति सजग रहें, असफल रहने पर आपके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल
fkr

पृष्ठांकन क्रमांक B/5296 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 05 / 09 / 2018
10

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. डिप्टी रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. सहायक स्थापना/रिसीप्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 6. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 7. श्रीमती रिचा मिश्रा, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. श्री मुकेश उइके, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
fkr

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

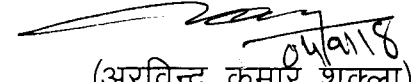
// आदेश //

क्रमांक B/5297 /

जबलपुर, दिनांक ०९/०९/२०१८

श्री विनोद श्रीवास आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त ए.पी.एन. कॉलेज सदर जबलपुर से एल.एल.बी के पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

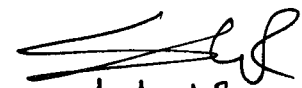

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/5298 /

जबलपुर, दिनांक ०९/०९/२०१८

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री विनोद श्रीवास आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


५.१०.१८
(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

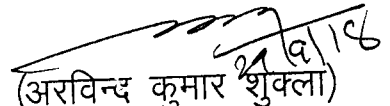
// आदेश //

क्रमांक C/4681 /

जबलपुर, दिनांक 05/09/2018

श्री नीरज दुबे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण (CPCT) की परीक्षा-2018 में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4682 /

जबलपुर, दिनांक 05/09/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री नीरज दुबे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)